UPGB050002342014

Presented on : 14-02-2014
Registered on : 14-02-2014
Decided on : 31-01-2022

IN THE COURT OF
Civil Judge Sr. D. FTC AT ,Gautam Buddha Nagar
Presided Over by AVADHESH KUMAR

Original Suit/300171/2014

1. घनश्याम पुत्र श्री गोपाल निवासी बी-3/61, बी-3 ब्लॉक, यमुना विहार, दिल्ली।

.....वादी

बनाम

1. सुभाष चन्द पुत्र श्री रामप्रताप निवासी चैम्बर नं०-9, शिवालिक कौशाम्बी जिला गाजियाबाद।

2. पवन कुमार यादव पुत्र नामालूम निवासी ग्राम छिजारसी सैक्टर 63 नोएडा तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर।

.....प्रतिवादीगण

एकपक्षीय निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधात्मक निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया गया है।

संक्षेप में वादी का कथन है कि वादी एक शान्तिप्रिय एवं अमन पसन्द व्यक्ति है। वादी जाति से अनुसूचित जाति का है तथा अनुसूचित जाति प्रपत्र संख्या -SDM/S.Puri/SC/ST/ 291/301/05/2001 दिनांकित 19.06.2011 है जो ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वेवर्स कॉम्लैक्स नंद नगरी दिल्ली द्वारा जारी किया गया है तथा वादी का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या-जी०जेड०एफ 0-1141506 है। जबकि प्रतिवादीगण सामान्य जाति से है। प्रार्थी / वादी आबादी की भूमि खाता संख्या 00073 खसरा संख्या 6 म/3 क्षेत्रफल 0.0890 है०, स्थित ग्राम छजारसी परगना लोनी तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का मालिक एवं काबिज है तथा उक्त भूमि वादी की दादालाई सम्पत्ति है कि जिसका हदुदरर्बा वाद पत्र के अन्त में दर्शाया गया है तथा जिसे तत्पश्चात विवादित सम्पत्ति कहा गया है। उक्त आवासीय भूमि पर वादी में एक कमरा व चारदीवारी कर रखी है तथा प्रार्थी/ वादी

का कब्जा चला आ रहा है। दिनांक 08.02.2014 को प्रतिवादीगण अपने साथ गुंडे, बदमाशों को लेकर, प्रार्थी वादी की उक्त आवासीय भूमि पर कब्जा करने की नियत से प्रार्थी / वादी के घर में घुस आये और प्रार्थी / वादी के घर में रखे सामान को इधर उधर फेंकने लगे तथा प्रार्थी वादी की उक्त आवासीय भूमि पर बनी हुई चारदीवारी को ध्वस्त करने का प्रयास करने लगे। उक्त घटना की बाबत जब प्रार्थी / वादी को सूचना प्राप्त हुई तो प्रार्थी / वादी आस पडौस के काफी लोगों को इक्टठा कर अपनी उपरोक्त आवासीय भूमि पर पहुँचा और उक्त लोगों को ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया तो उक्त सभी प्रतिवादीगण ने प्रार्थी / वादी के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि साले चमार इस कीमती जमीन का तू क्या करेगा, तू तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, तु इतने बड़े घर में रहने के योग्य नहीं हों तथा उक्त लोग प्रार्थी / वादी के साथ मारपीट करने लगे। मौके पर काफी लोग इक्टठा हो जाने पर उक्त प्रतिवादीगण प्रार्थी / वादी को धमकी देकर गये कि साले चमार जल्द से जल्द उक्त आबादी की भूमि को खाली कर दे और कब्जा हमें दे दे, नहीं तो तुझे व तेरे परिवार को जान से खत्म कर उक्त भूमि पर जबरदस्ती अपना कब्जा कर लेगे। प्रार्थी / वादी उक्त घटना की बाबत थाने पर शिकायत दर्ज कराने गये परन्तु थाने वालों ने प्रार्थी/ वादी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद प्रार्थी / वादी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गौतमबुद्धनगर से मिला तथा अन्य कई प्रशासनिक अधिकारियों से सम्पर्क किया परन्तु उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। दिनांक 10.02.2014 को प्रार्थी / वादी ने ग्राम के कई मौजिन्न व्यक्तियों को साथ लेकर प्रतिवादीगण से समझौता करने का प्रयास किया गया परन्तु प्रतिवादीगण अपनी फैल बेजा से बाज नहीं आये तथा ग्राम के व्यक्तियों ने प्रतिवादीगण को काफी समझाया कि यह तो बहुत गरीब व अनुसूचित जाति का है तुम इसकी जमीन पर क्यों अवैध कब्जा करना चाहते हो तो प्रतिवादीगण नहीं माने और प्रार्थी / वादी की उक्त आबादी की जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए कहते रहे। प्रतिवादीगण को प्रार्थी / वादी की भूमि पर कब्जा करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी / वादी का वाद प्रथम दृष्टया बनता है व सिद्ध है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी / वादी के हक मे है। वाद का कारण दिनांक 08.02.2014 को करने प्रयास कब्जा द्वारा प्रतिवादीगण, दिनांक 10.02.2014 को प्रतिवादीगण को प्रार्थी / वादी द्वारा ग्राम के मौजिज़ व्यक्तियों द्वारा काफी समझाने के बावजूद प्रतिवादीगण द्वारा करनें आखिरी इंकार तथा प्रार्थी / वादी की उपरोक्त भूमि खाता संख्या 00073 खसरा संख्या 6 म/3 क्षेत्रफल 0.0890 है0, स्थित ग्राम छजारसी परगना लोनी तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर पर पुनः कब्जा करने की धमकी देने जिला गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत सीमा न्यायालय पैदा हुआ है। माननीय न्यायालय को वाद को ग्रहण व श्रवण में निस्तारण मे पूर्ण क्षेत्राधिकार रखती है। वाद का मूल्यांकन विवादित सम्पत्ति जिसकी चतुर्थ सीमायें वाद पत्र के अन्त में दी गयी है , के बाजारू मूल्य अंकन 2,00,000/- रुपये पर किया जाकर 500/-रुपये अदा किया जाता है। प्रार्थी / वादी निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है: - यह कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से जारी की जाये कि प्रतिवादीगण विवादित सम्पत्ति खाता संख्या - 00073 खसरा संख्या 6 म/3 क्षेत्रफल 0.0890 है0, स्थित ग्राम छजारसी परगना लोनी तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर जिसकी चर्तुसीमायें: पूरब रास्ता पश्चिम खाली प्लॉट, साया जेनिथ अपार्टमेन्ट उत्तर अम्बानी एन्कलेव, दक्षिण आशियाना ग्रीन अपार्टमैन्ट हैं, पर प्रार्थी / वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे उपयोग एवं उपभोग में हस्तक्षेप करने से सदैव के लिए बना रहे। वाद व्यय प्रतिवादीगण से प्रार्थी/ वादी को दिलाया जावे।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय के समक्ष इस अनुतोष के साथ दाखिल किया है कि 00073 खसरा संख्या 6 म/3 क्षेत्रफल 0.0890 है0, स्थित ग्राम छजारसी परगना लोनी तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर जिसकी चर्तुसीमायें: पूरब रास्ता पश्चिम खाली प्लॉट, साया जेनिथ अपार्टमेन्ट उत्तर अम्बानी एन्कलेव, दक्षिण आशियाना ग्रीन अपार्टमैन्ट हैं, पर प्रार्थी /

वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे उपयोग एवं उपभोग में हस्तक्षेप करने से सदैव के लिए बना रहे। वाद व्यय प्रतिवादीगण से प्रार्थी/ वादी को दिलाया जावे।

वादी संस्थित किए जाने के उपरान्त प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किया गया जो उस पर तामील भी हुआ और वे उपस्थित नहीं आए और ना ही अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसके उपरांत दिनांक 06.01.2022 को वाद की कार्यवाही प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी और पत्रावली वास्ते एकपक्षीय साक्ष्य हेतु नियत की गयी।

प्रतिवादी 1 द्वारा 22क1 प्रतिवाद पत्र दाखिल कर वादी द्वारा दाखिल वादपत्र के कथनों से इंकार किया है तथा अपने अतिरिक्त कथन में कहा है कि वादी तथा वादी की माँ श्रीमती चन्द्रवती द्वारा दिनांक 21.11.1998 को विवादित सम्पत्ति खेत नं०– 6म / 3 सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके अपने समस्त अधिकारों का हस्तान्तरण प्रतिवादी सं० –1 के हक में कर दिया और कब्जा प्रतिवादी सं०–1 को सुपुर्द कर दिया, अब कोई अधिकार वादी का विवादित सम्पत्ति में शेष नहीं बचा है। प्रतिवादी सं०–1 द्वारा दिनांक 21.11.1998 को विवादित सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्त कर लिया। प्रतिवादी सं०–1 द्वारा विवादित सम्पत्ति खेत सं०–6म/ 3 तथा उस पर बने निर्माण को दिनांक 26.12.2003 को प्रतिफल प्राप्त करके श्रीमती शीला देवी पत्नी कालीचरन निवासी 102 कैलाश टावर, कौशाम्बी, गाजियाबाद को विक्रय पत्र सम्पादित कर दिया और वास्तविक कब्जा क्रेता श्रीमती शीला देवी को करा दिया। श्रीमती शीला देवी ने भी दिनांक 10.06.2004 को अपने अधिकारों का समर्पण प्रतिवादी सं०–1 के हक में करके विवादित सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा पुनः प्रतिवादी सं0–1 को दे दिया, जिस पर प्रतिवादी नं०–1 ने प्रतिवाद पत्र के अन्त में बने दृष्टिचित्र के अनुसार नवनिर्माण करके बिना किसी रोक–टोक के शान्तिपूर्वक निवास किया है, वादी तथा वादी की माँ ने इस निर्माण को होते समय स्वयं देखा है। वादी अथवा वादी की माँ ने इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं की है। इस प्रकार उपरोक्त वाद में स्वीकृति एवं निबन्ध का सिद्धान्त बाधक है और वर्तमान में प्रतिवादी सं0–1 विवादित सम्पत्ति में बने मकान में शान्तिपूर्वक नवनिर्माण कर रहा है। वादी अथवा वादी की माँ ने इस पर भी कभी कोई आपत्ति नहीं की है। वादी का विवादित सम्पत्ति एवं उस पर बने निर्माण पर कोई कब्जा नहीं है, वाद में धारा 37, 38 व 41 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बाधक है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार विवादित सम्पत्ति ग्राम छजारसी, परगना लौनी में स्थित है और परगना लौनी से सम्बन्धित किसी भी वाद को सुनने एवं निर्णीत करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है। वादी ने श्रीमती चन्द्रवती व श्रीमती शीला देवी को पक्षकार वाद नहीं बनाया है, इस प्रकार वाद हाजा आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से दूषित है। जनपद गौतमबुद्धनगर की सम्पत्तियों के मूल्य में भारी वृद्धि हो जाने के कारण वादी के मन में बेईमानी आ गयी है। और लालच के वशीभूत होकर वादी ने असत्य कथनों के आधार पर वाद हाजा योजित किया है। वादी ने यह सब जानते हुए भी कि वाद पत्र के अभिकथन मिथ्या एवं निराधार हैं। प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नीयत से वाद हाजा योजित किया है। प्रतिवादीगण नाहक मुकदमेबाजी में तंग करने के लिये वादी से हर्जा खास अन्तर्गत धारा– 35ए सी०पी०सी० अंकन 50,000/– रूपये पाने के अधिकारी हैं। वादी का वाद पोषणीय नहीं है, प्रत्येक दृष्टि से खारिज किये जाने योग्य है और खारिज किया जाना अति आवश्यक एवं न्यायसंगत है। सव्यय खारिज फरमाया जावे।

मौखिक साक्ष्य के रूप में वादीगण की ओर से पी०डब्लू.1 घनश्याम एवं पी०डब्लू०-02 रफल सिंह का बयान जरिए शपथ पत्रीय साक्ष्य कागज संख्या–46ए/1 एवं 48ए/1 दाखिल

किया गया है, गवाह पी०डब्लू० 01 एवं पी०डब्लू० 2 को न्यायालय के समक्ष जिरह हेतु उपस्थित नहीं कराया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

वादी की ओर से एकपक्षीय बात को साबित करने के लिए कागज सं०–10 ग 1 से एक किता अनूसूचित जन जाति का प्रमाण पत्र छायाप्रति, वॉटर कार्ड की छायाप्रति, खतौनी, K साला की छायाप्रतिएवं फेहरिस्त सबूत कागज सं०–41 ग समाचार पत्र , कागज सं०–43 ग उद्धरण खतौनी एवं कागज सं०–45 ग /1 से one original certificate of lese letter, one original of kisan bahi book, one original khasara khata no–6m/3, one original khatauni khata no–6m/3, one set all above documents noterised दाखिल की गई।

प्रतिवादी नं०–1 की ओर से एकपक्षीय बात को साबित करने के लिए कागज सं०–18 ग 1 से प्रश्नगत सम्पत्ति का फोटो एवं कागज सं०–26 ग 1 से गजराज पुत्र भुल्लन का जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति 1 किता, एक किता शीला देवी का पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति छायाप्रति, एक किता पंजाब नेशनल बैंक का चैक नं०–622199, 622200 की प्रमाणित छायाप्रति, एक किता पंजाब नेशनल बैंक का चैक नं०–622201 व 622202 की प्रमाणित छायाप्रति, रसीद अंकन 37,5000 रूपये की प्रमाणित छायाप्रति, दो किता जनरल पावर आफ अटार्नी द्वारा घनश्याम व चन्द्रवती बहक प्रतिवादी नं० –1 की प्रमाणित छायाप्रति, बैनामा दिनांकित 21.11.98 बहक श्रीमती शीला देवी द्वारा प्रतिवादी नं०–1 की प्रमाणित छायाप्रति 33 किता, जनरल पावर आफ अर्टानी द्वारा श्रीमती शीला देवी बहक प्रतिवादी नं०–1 की प्रमाणित छायाप्रति 4 किता दाखिल की गई।

वादी द्वारा अपने कथानकों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में पी०डब्लू० 1 घनश्याम का शपथ पत्र दाखिल कर उसे परीक्षित हेतु न्यायालय के समक्ष पेश कराया गया था जिसमें मुख्य परीक्षा में साक्षी द्वारा वाद के कथानकों का समर्थन किया गया था तथा जिरह में पी.डब्लू. 01 द्वारा संक्षेप में कथन किया गया कि वह जाति से अनुसूचित जाति का है तथा अनुसूचित जाति प्रपत्र सं० SDM/S.Puri/SC/ST/291/301/05/2001 दिनांक 19.06.2011 है जो ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ इर्स्ट दिल्ली वेवर्स कॉम्पलैक्स नंद नगरी दिल्ली द्वारा जारी किया गया है तथा उसका भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र सं0–जीजेडएफ 0–1141506 है जबकि प्रतिवादीगण सामान्य जाति से है। वह आबादी की भूमि खाता सं0 00073 खसरा सं0 6 म / 3 क्षेत्रफल 0.0890 है0, स्थित ग्राम छजारसी परगना लोनी तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का मालिक व काबिज है तथा उक्त भूमि प्रार्थी/वादी की दादालाई सम्पत्ति है जिसका अदुदर्बा वाद पत्र के अन्त में दर्शाया गया है तथा जिसे तदपश्चात विवादित सम्पत्ति कहा गया है। उक्त आवासीय भूमि पर शपथकर्ता ने एक कमरा व चारदीवारी कर रखी है तथा उसका का कब्जा चला आ रहा है। दिनांक 08.02.2014 को प्रतिवादीगण अपने साथ गुंडे बदमाशों को लेकर उसकी उक्त आवासीय भूमि पर कब्जा करने की नियत से उसके घर में घुस आये और उसके घर में रखे सामान को इधर उधार फेंकने लगे तथा उसकी उक्त आवासीय भूमि पर बनी हुई चारदीवारी को ध्वस्त करने का प्रयास करेन लगे उक्त घटना की बबात जब उसके सूचना प्राप्त हुई तो उसके आस पड़ोस के काफी लोगों को इक्टठा कर अपनी उपरोक्त आवासीय भूमि पर पहुंचा और उक्त लोगों को ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया तो उक्त सभी प्रतिवादीगण ने उसके साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा

कि “साले चमार इस कीमती जमीन का तू क्या करेगा" तू तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, तु इतने बड़े घर में रहने के योग्य नही हो तथा उक्त लोग उसके साथ मारपीट करने लगे। मौके पर काफी लोग इक्टठा हो जाने पर उक्त प्रतिवादीगण उसको धमकी देकर गये कि साले चमार जल्द से जल्द उक्त आबादी की भूमि को खाली कर दे और कब्जा हमें दे दें, नही तो तुझे व तेरे परिवार को जान से खत्म कर उक्त भूमि पर जबरदस्ती अपना कब्जा कर लेगें। वह उक्त घटना की बाबत थाने पर शिकायत दर्ज कराने गये परन्तु थाने वालों ने उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज नही की। इसके बाद वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतमबुद्धनगर से मिला तथा अन्य कोई प्रशासनिक अधिकारियों से सम्पर्क किया परन्तु उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। दिनांक 10.02.2014 को उसने ग्राम के कई मौजिज व्यक्तियों को साथ लेकर प्रतिवादीगण से समझौता करने का प्रयास किया गया परन्तु प्रतिवादीगण अपनी फैल बेजा से बाज नहीं आये तथा ग्राम के व्यक्तियों ने प्रतिवादीगण को काफी समझाया कि यह तो बहुत गरीब व अनूसुचित जाति का है तुम इसकी जमीन पर क्यों अवैध कब्जा करना चाहते हो तो प्रतिवादीगण नहीं माने और उसकी उक्त आबादी की जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए कहते रहे। प्रतिवादीगण को उसकी भूमि पर कब्जा करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

वादी द्वारा अपने कथानकों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में पी०डब्लू०–2 रफल सिंह का शपथ पत्र दाखिल कर उसे परीक्षित हेतु न्यायालय के समक्ष पेश कराया गया था जिसमें मुख्य परीक्षा में साक्षी द्वारा वाद के कथानकों का समर्थन किया गया था तथा जिरह में पी.डब्लू. 02 द्वारा संक्षेप में कथन किया गया कि वह वादी का मित्र है एवं सभी तथ्यों से भली भांति परिचित है। वादी आबादी की भूमि खाता सं0 00073 खसरा सं0 6म/3 क्षेत्रफल 0.0890 है0, स्थित ग्राम छजारसी परगना लोनी तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर का मालिक व काबिज है तथा उक्त भूमि प्रार्थी/वादी की दादालाई सम्पत्ति है जिसका अदुदर्बा वाद पत्र के अन्त में दर्शाया गया है तथा जिसे तदपश्चात विवादित सम्पत्ति कहा गया है। उक्त आवासीय भूमि पर वादी ने एक कमरा व चारदीवारी कर रखी है तथा वादी का कब्जा चला आ रहा है। दिनांक 08.02.2014 को प्रतिवादीगण अपने साथ गुंडे बदमाशों को लेकर, वादी की उक्त आवासीय भूमि पर कब्जा करने की नियत से वादी के घर में घुस आये और वादी के घर में रखे सामान को इधर उधार फेंकने लगे तथा वादी की उक्त आवासीय भूमि पर बनी हुई चारदीवारी को ध्वस्त करने का प्रयास करेन लगे उक्त घटना की बबात जब वादी को सूचना प्राप्त हुई तो वादी आस पड़ोस के काफी लोगों को इक्टठा कर अपनी उपरोक्त आवासीय भूमि पर पहुंचा और उक्त लोगों को ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया तो उक्त सभी प्रतिवादीगण ने वादी के साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि “साले चमार इस कीमती जमीन का तू क्या करेगा" तू तो झुग्गे झोपडी में रहने वाला व्यक्ति है, तु इतने बड़े घर में रहने के योग्य नही हो तथा उक्त लोग वादी के साथ मारपीट करने लगे। मौके पर काफी लोग इक्टठा हो जाने पर उक्त प्रतिवादीगण वादी को धमकी देकर गये कि साले चमार जल्द से जल्द उक्त आबादी की भूमि को खाली कर दे और कब्जा हमें दे दें, नहीं तो तुझे व तेरे परिवार को जान से खत्म कर उक्त भूमि पर जबरदस्ती अपना कब्जा कर लेगें। वादी उक्त घटना की बाबत थाने पर शिकायत दर्ज कराने गये परन्तु थाने वालों ने वादी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद वादी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतमबुद्धनगर से मिला तथा अन्य कोई प्रशासनिक अधिकारियों से सम्पर्क किया परन्तु उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई कार्यवाही नही की गयी। दिनांक 10.02.2014 को वादी ने ग्राम के कई मौजिज व्यक्तियों को साथ लेकर प्रतिवादीगण से समझौता करने का प्रयास किया गया परन्तु प्रतिवादीगण अपनी फैल बेजा से बाज नही आये तथा ग्राम के व्यक्तियों ने प्रतिवादीगण को काफी समझाया कि यह तो बहुत गरीब व अनूसुचित जाति का है तुम इसकी जमीन पर क्यों अवैध कब्जा करना चाहते हो तो प्रतिवादीगण नहीं माने और वादी की उक्त

आबादी की जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए कहते रहे। प्रतिवादीगण को वादी की भूमि पर कब्जा करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय ने ***<u>मारकण्डे बनाम सुदामा चौबे 2007(2)ए०डब्लू०सी०–1466</u>*** में कहा कि यदि एक पार्टी ने अपने अभिवचन में कुछ कहा है और उसका विरोध दूसरी पार्टी द्वारा नहीं किया गया है तो जो कथन अभिवचन में कहे गये है वह सत्य मान लिये जायेगें और उसको साबित करने के लिए कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश करने की जरूरत नहीं है।

इस केस में वादी ने जो अभिवचन में कहा है उसका भी प्रतिवादीगण द्वारा विरोध नहीं किया गया है। उसके बावजूद वादीगण ने शपथपत्र के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किये है जोकि वादीगण के केस को उसके पक्ष में साबित करते है।

उपरोक्त समस्त विवेचना के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वादी ने अपने वाद को संभाव्यता की सीमा तक साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः तद्नुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से आज्ञप्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से आज्ञप्त किया जाता है। स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वादी के हित में और प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषित की जाती है। प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण विवादित सम्पत्ति खाता संख्या-00073 खसरा संख्या-6 म/3 क्षेत्रफल 0.0890 है०, स्थित ग्राम छजारसी परगना लोनी तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर जिसकी चर्तुसीमायें- पूरब रास्ता पश्चिम-खाली प्लॉट, साया जेनिश अपार्टमेंट उत्तर- अम्बाजी एन्कलेव, दक्षिण- आशियाना ग्रीन अपार्टमेंट हैं, पर प्रार्थी/वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे, उपयोग एवं उपभोग मे हस्तक्षेप करने से सदैव के लिए बाज रहें।

उभयपक्ष के द्वारा अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–31.01.2022

(अवधेश कुमार)
सिविल जज (सी.डि.)/ एफ.टी.सी.
गौतमबुद्धनगर

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–31.01.2022

(अवधेश कुमार)
सिविल जज (सी.डि.)/ एफ.टी.सी.
गौतमबुद्धनगर